01.11.18

कमलाप्रसाद पत्नी स्व० मोहनसिंह। वसील वादिगण व वादिगण को अवसर दिया गया। बार-बार अवसर दिलाने के बावजूद व्यवहारिक समय तक हाजिर नहीं होने से वाद वादिगण श्रवण पत्नी अर्थ हर्जाने जारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है मिसल कार्यालय शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़